न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी –श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

प्रकरण संख्या –1/2015 अपील

दायर दिनांक– 21.1.2015
फैसल दिनांक– 17.1.18

1–श्री गंगाराम पिता श्री धुली बलाई निवासी जोगपुर तहसील गलियाकोट
2– श्री लालशंकर पिता श्री अमरजी बलाई निवासी जोगपुर तहसील गलियाकोट

(अपीलाण्ट)

बनाम

1– श्री रामजी उर्फ गटु पिता भूरा पाटीदार निवासी जोगपुर
2– श्रीमती अकुडी पुत्री श्री मोगजी जाति पाटीदार निवासी जोगपुर हाल अपने पति श्री ताजेंग पाटीदार निवासी चितरी
3– श्रीमती शारदा पुत्री श्री मोगजी जाति पाटीदार निवासी जोगपुर हाल अपने पति श्री रागजी पाटीदार निवासी चीतरी
4– श्री मती कुरी पुत्री श्री मोगजी जाति पाटीदार हाल अपने पति श्री अमरजी पाटीदार नि0 जोगपुर ।
5– श्री सरपंच महोदयजी ग्राम पंचायत जोगपुर तहसील गलियाकोट ।
6– श्रीमान पटवारी सा0 पटवार हल्का जोगपुर तहसील गलियाकोट ।
7– श्री मान तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय गलियाकोट ।

(रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत जोगपुर तहसील गलियाकोट

निर्णय

अपीलार्थीगण की अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री मोगजी पिता नाथू पटेल का निधन होने पर अपीलार्थी संख्या 2 ,3,व 4 पुत्रीयां श्रीमती अकुडी,शारदा व काली है जो पिता के निधन के पश्चात एक मात्र वारीसान होकर उत्तराधिकारी है। यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2,3,4 ने पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत से मिलकर गलत तथ्य बताते हुए अपने पिता मोगजी की भूमि का नामान्तरकरण करवाते वक्त मोगजी की सारी भूमि का अपने स्वयं एवं मोगजी पिता नाथू के भाई भूरा के पूत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को सहखातेदारी वारीसदार बताकर सहखातेदार के रूप में नामान्तरकरण खुलवाकर पारीत करवा दिया जबकि मोगजी पिता नाथू के तीन ही पूत्रियां होते हुए बिना अपीलार्थीगण की जानकारी के उक्त नामान्तरकरण गलत तरिके से पारित करवा दिया जो विधि एवं तथ्यों के विपरित है ।

यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण निष्पादित कर स्वीकृत करने के पूर्व मोगजी पिता नाथू के वारिसान के बारे में बिना किसी जांच पडताल के मोगजी पिता नाथू की तीन पुत्रियों व एक पूत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण निष्पादित कर स्वीकृत करने में भारी भूल की है जो काबिल अपास्त के है। यह कि ग्राम पंचायत का आदेश श्री मोगजी के तीन पुत्रियां रेस्पोडेण्ट 2 से 4 होते हुए भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को अन्य पुत्र बताते

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

हुए किया गया नामान्तरकरण अवैद्ध व निरस्त योग्य है । मोगजी पिता नाथू ने कभी भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के गोद पुत्र के रूप में नही रखा है न ही कानुनन हिन्दु विधि के अनुसार गोद पुत्र नाम का दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत भी करवाया है । यह कि विपक्षीगण मात्र तीन पुत्रियां होते हुए भी विपक्षी संख्या 1 को पुत्र बताते हुए खोला गया नामान्तरकरण अवैद्ध व निरस्त योग्य है । ग्राम पंचायत का आदेश विधि के विरूद्ध होकर बिना सावधानीपूर्वक जांच किये खोला है जो तथ्यों के विपरित है । यह कि अधिनरथ ग्राम पंचायत के आदेश की सर्वप्रथम जानकारी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा मोके पर विवाद करने के कारण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 का विवाह हो जाने के उपरान्त ससूराल में होने के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अपने आप को खातेदार होने की बात करने पर जब पटवारी हल्का से अपीलार्थीगण ने सम्पर्क किया तो जानकारी हुई कि रेस्पोडेण्ट सभी के नाम खाते में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि रेस्पोडेण्ट ने गलत तरिके से दुर्भावनावश रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को पुत्र होना बताते हुए नामान्तरकरण पारित करवा दिया ।

अपिलाण्ट द्वारा अपील के अन्त में अपील स्वीकार कर अधिनरथ ग्रामपंचायत के नामान्तरकरण संख्या 1586 दिनांक 8.7.2004 को अपास्त कर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 के नाम ही नामान्तरकरण पारित कराने निवेदन किया गया है ।

अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ नकल जमाबन्दी एंव नकल नामान्तरकरण प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेण्ट्स को तलब किया गया । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को सम्मन तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से दिनांक 27.11.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए । रेस्पोडेण्ट संख्या 6 एवं 7 के द्वारा जवाब मय पर्चा मोका दिनांक 20.11.2017 के प्रस्तुत किया गया ।

चूँकि प्रकरण नामान्तरकरण की अपील का होने से एंव दस्तावेज के आधार पर निर्णय का होने से विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मोगजी पिता नाथू ने कभी भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के गोद पुत्र के रूप में नही रखना तथा न ही कानुनन हिन्दु विधि के अनुसार गोद पुत्र नाम का दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत भी करवाना बताते हुए विपक्षीगण मात्र तीन पुत्रियां होते हुए भी विपक्षी संख्या 1 को पुत्र बताते हुए खोला गया नामान्तरकरण अवैद्ध व निरस्त योग्य होना , ग्राम पंचायत का आदेश विधि के विरूद्ध होकर बिना सावधानीपूर्वक जांच किये खोला है जो तथ्यों के विपरित होना बताते हुए पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 1586 की नकल की ओर आकर्षित कर बताया कि खातेदार मोगजी के फोत होने के बाद नामान्तरकरण में वारिसान के स्थान पर अकुडी शारदा काली रामजी पिता मोगजी पटेल का अंकन होकर सर्व सम्मती से शिविर में आजमे आम में स्वीकृत का दाखला कर किया गया है । वकील अपीलाण्ट ने रिपोर्ट / जवाब पटवारी एवं तहसीलदार की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि रिपोर्ट एवं रिपोर्ट के संलग्न पर्चा मोका में भी रामजी उर्फ गटू पाटीदार निवासी जोगपुर भूरा पिता नाथू पाटीदार की सन्तान है तथा पर्चा मोका पर सरपंच उपसरपंच के साथ मोतबिरान के भी हस्ताक्षर है । वकील अपीलाण्ट ने पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 2019 दिनांक 5.3.2014 मोजा जोगपुर का उल्लेख करते हुए बताया कि भूरा पिता नाथू पटेल की मृत्यु होने से उसके वारिसान के

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

रूप में रामजी उर्फ गटू गेंगजी कमला मणी वीलू पिता भूरा 1/2 पटेल दर्ज है जिससे सिद्ध होता है कि रामजी उर्फ गटु भूरा पिता नाथू पटेल का पुत्र है । वकील अपीलाण्ट ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज प्रकरण संख्या 549/2009 न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट में बयान श्रीमती शारदा पत्नि रामजी पाटीदार निवासी चितरी एवं मानजी पिता डूँगर पाटीदार निवासी खुमानपुर , लक्ष्मण पिता वालजी कटारा मीणा , निवासी जोगपुर दिनांक 11.4.2016 एवं 22.1.2016 में भी रामजी, भूरा का लडका होना ,रामजी मोगजी का पुत्र नही होने का अंकन होने से बहस के अन्त में अपील स्वीकार कर अधिनरथ ग्रामपंचायत के नामान्तरकरण संख्या 1586 दिनांक 8.7.2004 को अपास्त कर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 के नाम ही नामान्तरकरण पारित कराने निवेदन किया गया है ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण का मेरीट पर निस्तारण हेतु निवेदन करते हुए अपनी बहस समाप्त की ।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं वकील अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया ।

नामान्तरकरण संख्या 1586 मौजा जोगपुर में खातेदार मोगजी पिता नाथू पटेल के फौत होने के बाद दर्ज वारिसान में अकुडी शारदा काली रामजी पिता मोगजी का अंकन होकर ग्राम पंचायत द्वारा सर्व सम्मती से शिविर में मजमे आम में स्वीकृत किया गया है । अपीलार्थी ने अपील में मोगजी पिता नाथू पटेल के तीन पुत्रियां रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 होना बताते हुए इनके साथ उक्त नामान्तरकरण में सहखातेदार रामजी पिता मोगजी का नाम वारिसान के रूप में गलत अंकित होने से नामान्तरकरण अपास्त किया जाकर रेस्पोडेण्ट 2 से 4 के नाम नामान्तरकरण पारित कराने अपील प्रस्तुत की है । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज रिपोर्ट पटवारी एवं तहसीलदार गलियाकोट तथा पर्चा मौका एवं न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट में बयान श्रीमती शारदा पत्नि रामजी पाटीदार एवं मानजी पिता डूँगर पाटीदार तथा लक्ष्मण पिता वालजी कटारा मीणा दिनांक 11.4.2016एवं 22.1.2016 से तथा मौजा जोगपुर के नामान्तरकरण संख्या 2019 दिनांक 5.3.2014 में भूरा की मृत्यु होने से उसके वारिसान के रूप में रामजी उर्फ गटु सहखातेदार दर्ज है जिससे यह प्रमाणित होता है कि रामजी उर्फ गटु भूरा का पूत्र है मोगजी का पुत्र नही है । मोगजी फौत होने के पश्चात नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 पुत्रियों के नाम दर्ज होना चाहिये था लेकिन इनके साथ रामजी जो कि मोगजी का पुत्र नही है का भी सहखातेदार में नाम दर्ज किया गया है जो कि गलत है । पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज यथा गोदनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि रामजी मोगजी का गोद पुत्र हो ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1586 मोजा जोगपुर को निरस्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार गलियाकोट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि पुनः जांच कर नामान्तरकरण दायर किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 17.1.18 को खूले न्यायालय में सुनाया गया । आदेशानुसार तहसीलदार गलियाकोट को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner